

वशिष्ट पहलुओं को उनकी योग्यता के आधार पर चुनौती देने के लिये तैयार हैं।

राष्ट्रीय हरति न्यायाधिकरण (NGT) क्या है?

- यह पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र नपिटान के लिये **राष्ट्रीय हरति न्यायाधिकरण अधिनियम (2010)** के अंतर्गत स्थापित एक विशेष निकाय है।
- **NGT की स्थापना** के साथ **भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड के बाद** एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला **दुनिया का तीसरा देश** बन गया, साथ ही ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया।
- सात नरिधारित कानून (**अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्ध**) जल अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 तथा **जैवविविधता अधिनियम 2002** हैं। जनिहोंने विवाद के साथ NGT अधिनियम की विशेष भूमिका को जन्म दिया।
- NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से उसका नपिटान करना अनविर्य है।
- NGT की बैठक के पाँच स्थान हैं, नई दलिली बैठक का प्रमुख स्थान है और साथ ही भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई अन्य चार स्थान हैं।
- **न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, जो प्रधान पीठ की अध्यक्षता** करते हैं, के साथ ही न्यूनतम 10 न्यायिक सदस्य तथा अधिकतम 20 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।
- न्यायाधिकरण के नरिणय बाध्यकारी होते हैं। **न्यायाधिकरण के पास अपने नरिणयों की समीक्षा करने की शक्तियाँ** हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तब 90 दिनों के भीतर नरिणय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मशिन (AMRUT) क्या है?

- **प्रारंभ:** जून 2015
- **संबंधित मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA)
- **उद्देश्य:**
 - हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुँच को सुनिश्चित करना।
 - मशिन का प्राथमिकता क्षेत्र सीवरेज के बाद जल आपूर्ति है।
 - हरियाली और अच्छी तरह से बनाए हुए खुले स्थानों (जैसे- पार्क) का विकास करके शहरों की सुविधा का मूल्य बढ़ाना।
 - सार्वजनिक परिवहन का कम उपयोग कर उसके बदले या गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे- पैदल और साइकिल चलाना) के लिये सुविधाओं का नरिमाण करके प्रदूषण को कम करना।
- **घटक:**
 - क्षमता नरिमाण, सुधार कार्यान्वयन, जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, बरसाती पानी की निकासी, शहरी परिवहन तथा हरति स्थानों एवं पार्कों का विकास।
 - सुधारों का उद्देश्य नागरिक सेवाओं की डलिवरी में सुधार करना, डलिवरी की लागत को कम करना, वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करना, संसाधनों को बढ़ाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इसमें स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी लाइट लगाना भी शामिल है।
- **राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP):**
 - AMRUT ने MoHUA द्वारा वर्ष में एक बार SAAP की मंजूरी देकर परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में राज्यों को समान भागीदार बनाया है तथा राज्यों को अपने अंत में परियोजना मंजूरी देनी होती है, इसलिये **सहकारी संघवाद** का एहसास होता है।
- **नरिक्षण:**
 - एक शीर्ष समिति (Apex Committee - AC), जिसकी अध्यक्षता सचिव, MoHUA करता है और जिसमें संबंधित मंत्रालयों तथा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, मशिन की नगरिणी करती है।

UPSC, सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय हरति अधिकरण (एन.जी.टी) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नरिंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी) से भिन्न है? (2018)

1. एन.जी.टी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सी.पी.सी.बी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है।
2. एन.जी.टी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध करता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सी.पी.सी.बी झरनों तथा कुँओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/shimla-development-plan-2041>

